

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 10 / 2016 राजस्व वाद

उनवान

1. सोहनलाल पिता कजोड (धाबाई) गुर्जर निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादी)

बनाम

मृतक भैरूलाल पिता कजोड (धाबाई) गुर्जर निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0 के बजाय—

1. देवीलाल पिता भैरूलाल (धाबाई) गुर्जर निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0
2. छोटूलाल पिता भैरूलाल (धाबाई) गुर्जर निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0
3. बदाम पुत्री भैरूलाल (धाबाई) गुर्जर निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0
4. हगाम पुत्री भैरूलाल (धाबाई) गुर्जर निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0
5. भंवरी देवी बेवा भैरूलाल (धाबाई) गुर्जर निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा राज0
6. एस0बी0बी0जे शाखा बनेडा जरिये मेनेजर एस0बी0बी0जे0 शाखा बनेडा तहसील बनेडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा एंव पदेन उपजीयक बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री मुरारी जोशीवादी अधिवक्ता

दिनांक— 13.06.2017

राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम चमनपुरा में वादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। आज दिनांक 13.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम छतरीखेडा पटवार क्षेत्र चमनपुरा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का हक हिस्सा कब्जा अनुसार प्रथक रखते हुए व प्रतिवादी कम 01 लगायत 05 को शामलात यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—

1. सोहनलाल पिता कजोड (धाबाई) गुर्जर सा0बनेडा खातेदार मु0वि0क0 एस0बी0बी0जे0 बनेडा (वादी)

आ0न0	रकबा	लगान
188	00-04	1.22
189	00-04	1.42
190	00-04	0.54
191	02-00	12.42
193	00-15	4.25
194/1	00-02	0.30
कुल 3	रकबा 03-09 बीघा	20.15

2. देवीलाल छोटूलाल पिता भैरूलाल, बदाम हगाम पुत्रीया भैरूलाल, भंवरीदेवी बेवा भैरूलाल (धाबाई) गुर्जर सा0बनेडा खातेदार

आ0न0	रकबा	लगान
194 / 2	00-03	0.38
196	00-04	0.54
197	00-19	7.09
198	00-06	0.81
192	01-12	10.74
199	00-06	0.14
कुल 6	रकबा 03-10 बीघा	19.70

3. पूर्ववत शामलाती

आ0न0	रकबा	लगान
187	00-04	-
कुल 6	रकबा 00-04 बीघा	-

उक्तानुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 05 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 13.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम चमनपुरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.